वित्त निर्देश 25/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 231/एफ–2015–04–02115/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2015
अगस्त

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–शासकीय सेवक को किये गये गलत/अधिक भुगतान की वसूली।

मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 5899/2012 तथा एस.एल.पी. (सी) कमांक 30858/2011 चंडी प्रसाद उनियल एवं अन्य विरूद्ध उत्तराखंड सरकार एवं अन्य के प्रकरण में प्रदत्त निर्णय दिनांक 17 अगस्त, 2012 में निम्नानुसार तथ्य प्रतिपादित किया गया है :–

(15) We are not convinced that this Court in various judgments referred to hereinbefore has laid down any proposition of law that only if the State or its officials establish that there was misrepresentation or fraud on the part of the recipients of the excess pay, then only the amount paid could be recovered. On the other hand, most of the cases referred to hereinbefore turned on the peculiar facts and circumstances of those cases either because the recipients had retired or on the verge of retirement or were occupying lower posts in the administrative hierarchy.

(16) We are concerned with the excess payment of public money which is often described as "tax payers money" which belongs neither to the officers who have effected over-payment nor that of the recipients. We fail to see why the concept of fraud or misrepresentation is being brought in such situations. Question to be asked is whether excess money has been paid or not may be due to a bona fide mistake. Possibly, effecting excess payment of public money by Government officers, may be due to various reasons like negligence, carelessness, collusion, favouritism etc. because money in such situation does not belong to the payer or the payee. Situations may also arise where both the payer and the payee are at fault, then the mistake is mutual. Payments are being effected in many situations without any authority of law and payments have been received by the recipients also without any authority of law. Any amount paid/received without authority of law can always be recovered barring few exceptions of extreme hardships but not as a matter of right, in such situations law implies an obligation on the payee to repay the money, otherwise it would amount to unjust enrichment.

मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा डब्ल्यू. पी. क्रमांक 1182/2013, जी.एन. पटेल एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में शासकीय सेवक के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के पश्चात लंबित अधिक भुगतान की वसूली संबंधी आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि कर्मचारी अल्प वेतनभोगी था, अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके अंतिम भुगतान के स्वत्वों से वसूली करने पर उसे वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली न होने पर लोकधन की हानि होती है, जो शासन के हित में नहीं है, अतः निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि की वसूली त्रुटिपूर्ण भुगतान करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी से की जाकर शासकीय खजाने में जमा की जाये।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त न्यायालय निर्णयों के आलोक में त्रुटिपूर्ण/अधिक भुगतान के प्रकरणों के संव्यवहार हेतु प्रशासकीय विभागों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

(i) शासकीय कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किये गये अधिक भुगतान सक्षम स्वीकृति के बिना वेतनमान का प्रदाय, निर्धारित प्रकिया का पालन किये बिना की गई पदोन्नति अथवा किसी अन्य कारण से किये गये पात्रता से अधिक भुगतान इत्यादि की जानकारी जैसे ही ध्यान में आती है, तत्काल उक्त त्रुटि के सुधार हेतु उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(ii) ऐसे प्रकरण जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा किसी त्रुटिपूर्ण आदेश के संशोधन का निर्णय लिया गया है, संबंधित शासकीय सेवक को एक कारण बताओ सूचना यह सूचित करते हुए जारी किया जाएगा कि उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को जिसके फलस्वरूप अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित हुई है, संशोधित करते हुए अधिक भुगतान की वसूली का निर्णय लिया गया है। कारण बताओ सूचना में संशोधन संबंधी निर्णय का स्पष्ट कारण उल्लेखित किया जायेगा, जिससे कर्मचारी यदि चाहे तो उक्त आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें। यदि कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त अभ्यावेदन पर पूर्णतः विचारोपरांत एक व्याख्यात्मक आदेश (**Speaking order**) जारी किया जायेगा।

(iii) जब भी जालसाजी (**fraud**), दुरभिसंधि (**Collusion**), पक्षपात (**favouritism**), उपेक्षा (**negligence**) अथवा असावधानी (**Carelessness**) के कारण कोई अधिक भुगतान होना पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में अधिक भुगतान हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों तथा इसके फलस्वरूप लाभान्वित कर्मचारियों की भूमिका निर्धारित की जाकर उपयुक्त प्रकरणों में विभागीय/अपराधिक कार्यवाही हेतु विचार किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसे अपवादिक प्रकरणों को छोड़कर जिनमें अधिक भुगतान की वसूली से शासकीय सेवक/पेंशनर को अत्यधिक कठिनाई होगी, समस्त अधिक भुगतान के प्रकरणों में वसूली की जाना चाहिये। वित्त विभाग की

सहमति के बिना किसी भी अधिक भुगतान की वसूली से छूट नहीं दी जायेगी।

(v) वसूली आदेश जारी करते समय, प्रकरण के सभी परिस्थितियों को विचार में लिया जाना चाहिये। जहां आवश्यक हो संबंधित कर्मचारी को राशि किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जा सकती है, किन्तु ऐसी सुविधा हेतु प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) जहां नियमों में कर्मचारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अवधि तक राशि शासन को वापस न करने पर ब्याज अधिरोपण का प्रावधान है, ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार ब्याज की वसूली भी की जाना चाहिए।

इस ज्ञापन में उल्लेखित न्याय निदर्शनों का मूल अभिप्राय यह है कि किसी भी कारण से किया गया अधिक भुगतान लोकधन की हानि की श्रेणी में आता है, अतः ऐसे अधिक भुगतानों की भरपाई आवश्यक है साथ ही यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि ऐसी वसूली शासकीय कर्मचारी के लिये अत्यधिक कष्टप्रद न हो। अतः प्रथमतः शासकीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान संबंधी आदेश नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाए तथा बाद में अधिक भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर उसकी वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो। मुख्यतः ऐसे शासकीय सेवक जो आगामी पांच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले है, उनके प्रकरणों में वेतन निर्धारण एवं अन्य आर्थिक प्रकरणों का निराकरण अत्यन्त सावधानी से किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के समय उसके विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली की संभावना न रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वसूली गलत आदेश पारित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना आवश्यक होगा।

समस्त प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष उपरोक्त सुझावों के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करें।

(विवेक ढाँड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. 232/एफ 2015-04-02115/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2015

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6.8.2015

(एन.के. साकी)
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग